नियम 6 (7) देखिए }

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद, बांसवाड़ा

क्रमांक : एफ 8( )न.प.बा./नजुल/भू.रू/2024–25/3855-57 दिनांक : 2/9/24

लोक सूचना – 07

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षैत्रफल (वर्गमीटर में)
1	श्री नागजी पिता करेंग भील निवासी डांगपाडा बडगांव तह व जिला बांसवाडा	बांसवाडा	बडगांव	593,594	1619.00
2	श्रीमती चम्पा पत्नि श्री रमेश भील निवासी डांगपाडा तह व जिला बांसवाडा	बांसवाडा	बडगांव	806	2023
3	श्री अर्जुन सिंह बामनिया पिता श्री पूंजाजी बामनिया निवासी मलवासा तह व जिला बांसवाडा	बांसवाडा	सुन्दरग्राम (औद्योगिक)	896/894	1115.24
4	श्री तपेश बामनिया पिता श्री अर्जुन सिंह बामनिया निवासी मलवासा तह व जिला बांसवाडा	बांसवाडा	सुन्दरग्राम (औद्योगिक)	635/385 901/896	2450.00
5	श्री रूपचंद पिता श्री बीजीया डिन्डोर निवासी दनाक्षरी हा.मु.घाटोल जिला बांसवाडा	बांसवाडा	ठिकरीया	920/10	4048.00
6	श्रीमती कांता पत्नि श्री देवु अहारी निवासी लोधा तह व जिला बांसवाडा	बांसवाडा	लोधा	1275/230/1	243

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 2/9/24 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद, बांसवाड़ा

क्रमांक : एफ 8( )न.प.बा./नजुल/भू.रू/2024–25/3855-57 दिनांक : 2/9/24

प्रतिलीपी सूचनार्थ :–

1. प्रबंध निदेशक राजस्थान संवाद एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन एवं सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त उजरदारी सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार–पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड/शहर के मुख्य स्थान पर चस्पा करना/मौके पर चस्पा
3. कार्यालय प्रति श्री कच

प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद, बांसवाड़ा